## अध्याय -3

## वन्य प्राणियों का आखेट करना

**9. शिकार का प्रतिषेध--** कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी वन्यप्राणी का, धारा 11 और धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाये, शिकार नहीं करेगा।

10. [निरसित]

****11. कुछ परिस्थितियों में वन्यप्राणियों के आखेट की अनुज्ञा का दिया जाना--** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए --

(क) यदि मुख्य वन्यजीव संरक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई वन्यप्राणी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या ऐसा निःशक्त या रोगी है कि ठीन नहीं हो सकता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिए कारण कथित करते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे प्राणी का आखेट करने की या उसका आखाटे करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा;

परन्तु किसी वन्यप्राणी को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी प्राणी पकड़ा नहीं जा सकता, शान्त नहीं किया जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकताः

(2) अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी वन्यप्राणी को सद्भावनापूर्वक मारना या घायल करना अपराध नहीं होगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को विमुक्त नहीं करेगी जो, उस समय जब ऐसे प्रतिरक्षा आवश्यक हो गई है, इस अधिनियम के या उसके अधीन बना गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य कर रहा था।

***12. विशेष प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापत्र देना--** इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात को होते हुए भी, मुख्य वन्यजीव संरक्षक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह पूर्ण लिखित आदेश द्वारा, उसके लिए कारण कथित करते हुए, किसी व्यक्ति को ऐसी फीस का संदाय करने पर जो विहित की जाए, अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट किसी वन्यप्राणी का, निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए आखेट करने के लिए हकदार बनाएगा, अर्थात्:-

(क) शिक्षा;

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(खख) वैज्ञानिक प्रबंध।

**स्पष्टीकरण -** खण्ड (खख) के प्रयोजनों के लिए ''वैज्ञानिक प्रबंध'' पद से अभिप्रेत हैं--

(ग) निम्नलिखित के लिए नमूनों का संग्रहण --

(अ) धारा 38झ के अधीन अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर; या

(ब) संग्रहालय और तत्समान संस्थाएं;

(घ) प्राणरक्षक औषधियों के विनिर्माण के लिए सर्पविष निकालना, संग्रह करना या तैयार करना। परन्तु ऐसा कोई अनुज्ञापत्र:-

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्शु की बाबत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से; और

(ख) किसी अन्य वन्य पशु की बाबत राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं।

13 से 17 [निरसित]

## अध्याय-3 क

## विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण

**17क. विनिर्दिष्ट पापदों के तोड़ने, उखाड़ने आदि का प्रतिषेध --** इस अध्याय में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति --

(क) किसी विनिर्दिष्ट पादप को किसी वन भूमि से और केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारस, विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र से जानबूझकर नहीं तोड़ेगा, नहीं उखाड़ेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नष्ट नहीं करेगा, अर्जित या उसका संग्रह नहीं करेगा;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट पादप को, चाहे जीवित या मृत या उसके भाग या व्युत्पन्नी को, कब्जे में नहीं रखेगा विक्रय नहीं करेगा, विक्रय के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या दान के रुप में अथवा अन्यथा अंतरित नहीं करेगा, या उसका परिवहन नहीं करेगा:

परन्तु इस धारा की कोई जानजाति के किसी सदस्या को, अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस जिलें में, जिसमें वह निवास करता है, किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी को अपने सद्भावित व्यक्तिगत प्रयोग के लिए तोड़ने, संग्रह करने या कब्जे में रखने से निवारित नहीं करेगी।

**17ख. विशेष प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापत्र देना --** मुख्य वन्यजीव संरक्षक, राज्य सकार की पूर्व अनुज्ञा से, किसी व्यक्ति को किसी निविर्दिष्ट पादप को --

(क) शिक्षा;

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(ग) किसी वैज्ञानिक संस्था के जड़ी-उद्यान में संग्रहण परिरक्षण और प्रदर्शन; या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत अनुमोदित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संवर्धन, के प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि या धारा 17क के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र से तोड़ने, उखाड़ने, अर्जित करने संग्रह करने या उसका परिवहन करने के लिए अनुज्ञापत्र ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, दे सकेगा

**17ग. अनुज्ञप्ति के बिना विनिर्दिष्ट के बिना विनिर्दिष्ट की खेती का प्रतिषेध --** (1) कोई भी व्यक्ति, मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, किसी विनिर्दिष्ट पादप की खेती नहीं करेगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जो वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ के टीक पूर्व, किसी विनिर्दिष्ट पादप की खेती कर रहा था, ऐसे प्रारंभ में छः मास की अवधि के लिए, या जहां उसने उस अवधि के भीतर अपने लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने का आवेदन किया है वहां तब तक जब तक से अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती है या लिखित में उसे यह जानकारी नहीं दी जाती है कि उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती है, ऐसे खेती करते रहने से निवारित नहीं करेगा।

(2) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति में वह क्षेत्र जिसमें और वे शर्तें, यदि कोई हो, जिनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी किसी विनिर्दिष्ट पादप की खेती करेगा, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

**17घ. अनुज्ञप्ति के बिना विनिर्दिष्ट पादपों में व्यौहार करने का प्रतिषेध--** (1) कोई भी व्यक्ति,मुख्य वन्यतीव संरक्षक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी में व्यौहारों के रुप में कारबार या उपजीविका आरंभ नहीं करेगा या नहीं चलाएगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जो वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ के ठीक पूर्व, ऐसे कारबार या उपजीविका चला रहा था, ऐसे प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के लिए, या जहां उसने उस अवधि के भीतर अपने लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने का आवेदन किया है, वहां तब तक जब तक उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती है या लिखित में उसे यह जानकारी नहीं दी जाती है कि उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती है, ऐसर कारबार या उपजीविका करते रहने से निवारित नहीं करेगी।

(2) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति में वह परिसर जिसमें और वे शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार चलाएगा, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

**17ड. स्टाक की घोषणा--** (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी की खेती या उसमें व्यवहार करता है, वन्यजीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा अस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष, यथास्थिति, ऐसे पादपों और उसके भाग या व्युत्पन्नी के, ऐसे प्रारंभ की तारीख को, अपने स्टाक की घोषणा करेगा।

(2) धारा 44 की उपधारा (3) से उपधारा (8) तक (जिसमें ये दोनों उपधाराएं भी है), धारा 45, धारा 46 और धारा 47 के उपबंध, जहां तक हो सके, धारा 17ग और धारा 17घ में निर्दिष्ट किसी आवेदन और अनुज्ञप्ति के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे प्राणी या प्राणी-वस्तुओं की अनुज्ञप्ति और कारबार को लागू होते हैं।

**17च. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पादनों का कब्जा, आदि --** इस अध्याय के अधीन कोई अनुज्ञप्ति--

(क) निम्नलिखित को अपने नियंत्राण, अभिरक्षा, या कब्जे में नहीं रखेगा, अर्थात-

(प) कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जिसके संबंध में धारा 17ड के उवपबंधों के अधीन घोषणा की जाती है किन्तु की नहीं गई है;

(पप) कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों केअधीन विधिपूर्वक अर्जित नहीं की गई है।

(ख) निम्नलिखित में से कोई र्का, उन शर्तों के, जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दी गई है और ऐसे नियमों के, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं, अर्थात-

(प) किसी विनिर्दिष्ट पादप को तोड़ना, उखाड़ना या उसका संग्रह या अर्जन करना या

(पप) किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी को अर्जित करना, प्राप्त करना, अपने नियंत्राण, अभिरक्षा या कब्जे में रखना या विक्रय करना, विक्रय के लिए प्रस्थापित करना या परिवहन करना।

**17छ. विनिर्दिष्ट पादपों का क्रय, आदि --** कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी को किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी से ही क्रय करेगा, प्राप्त या अर्जित करेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु इस धारा की कोई बात धारा 17 ख में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी।

**17ज. पापदों का सरकारी संपत्ति होगा --** (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जिसके संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, राज्य सरकार की संपत्ति होगी और जहां ऐसा पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी अभ्यारण या राष्ट्रीय उपवन से संगृहीत या अर्जित की गई है वहां ऐसा पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी के न्द्रीय सरकार की संपत्ति होगी।

(2) धारा 39 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, जहां तक हो सके, विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वन्य प्राणियों और वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं।